# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 99/2018 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. भैरूलाल पिता रकमा नट निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. डालु पिता रकमा नट निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. लादु पिता रकमा नट निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. हीरा पिता रकमा नट निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

**प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. उदा पिता सुरजमल गुर्जर निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. नेनु पिता हजारी गुर्जर निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमति आशादेवी पत्नी नरेन्द्रसिंह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. मांगीलाल पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बालुराम पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. शंकरलाल पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. प्रधानाचार्य, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कुल निवासी जगपुरा, सुरास चौराया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

**विपक्षीगण**

## प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

## निर्णय

दिनांक 17.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 104 में अंकित आराजी संख्या 550 रकबा 1.08 हैक्ट., आराजी संख्या 553 रकबा 1.21 हैक्ट., कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में वर्तमान नकल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारो ओर सीमा मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण की कृषि आराािजयात में विपक्षीगण आये दिन दखलदांजी करते रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगणों को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहकर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है। व प्रार्थीगण द्वारा

तिम बार दिनांक 30.09.2018 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु कहा । न्तु विपक्षीगण इंकार हो गये है, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 19.11.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

## आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव के बेरून हल्का आबादी मे स्थित आराजी संख्या 550 रकबा 1.08 हैक्ट., आराजी संख्या 553 रकबा 1.21 हैक्ट., कुल किता 02 कुल रकबा 2.29 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है, तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/– अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1100/– अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा